जल कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
म०प्र० औद्यौगिक विकास निगम ग्वालियर मर्यादित,
५२ - रवि नगर, ग्वालियर -४७४००२

महोदय,

निवेदन है कि अपने उघोग में औद्यौगिक कार्य के लिये जल कनेक्शन लेना चाहता हूँ । मैंने औद्यौगिक क्षेत्र .... में भूखण्ड क्रमांक .. ..सेक्टर .... का आधिपत्य दिनांक .... को ग्रहण किया है जिसकी रसीद क्रमांक .... दिनांक .... की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है । मेरी इकाई को .... उत्पादन के लिये जिला उद्योग केन्द्र .... / भारत शासन द्वारा पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... प्रदाय किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है ।

मेरे जल कनेक्शन से अन्य किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की आपत्ति प्रस्तुत हुई तो निगम को मेरा कनेक्शन बन्द करने का अधिकार होगा । खराब पानी प्रवाह की नियमानुसार व्यवस्था की गई है । जल दर जमा करने के जो आपके नियम हैं उसी के अनुसार जमा करता रहूंगा । जल प्रदाय के नियमों का पूर्ण पालन करूंगा मेरे औद्योगिक कार्य हेतु जल का संभावित व्यय .... लिटर प्रति दिन होगा । अतः स्वीकृति लायसेंसी प्लम्बर श्री .... को प्रदाय की जावे जिसके द्वारा यह कार्य संपन्न किया जायेगा । जल प्राप्त करने संबंधी साईट प्लान तीन प्रति में संलग्न प्रस्तुत है । जल की व्यवस्था हेतु सडक काटने तथा सुधार हेतु व्यय की राशि आदेश प्राप्त होने पर जमा कर दी जावेगी । जल प्रदाय व्यवस्था हेतु मैं आपके निगम से नान-ज्युडीशियल स्आम्प पर अनुबंध करने को तैयार हूँ । मीटर एवं अन्य आवश्यक सामान अनुबन्ध करने की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर उपलब्ध कराकर कनेक्शन करवा लिया जायेगा ।

प्रार्थना पत्र में अनुचित, अपर्याप्त अथवा असावधानीपूर्वक दी गई जानकारी पाई जाने पर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त कर ली जावे ।

कृपया निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार एवं बिल प्रस्तुत किये जावें ।

....

....

....

संलग्न :- प्रार्थी के हस्ताक्षर

नोट -- महत्वपूर्ण सूचनाएं पीछे दी गयी हैं जिनका कृपया अध्ययन कर लें ।

प्रार्थना-पत्र श्री/मैसर्स .... को प्रदाय किया गया । प्रपत्र शुल्क रूपये ५०/- मात्र रसीद क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा प्राप्त ।

लिपिक

उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं

१ -नवीन जल संयोजन :- किसी भी नवीन जल कनेक्शन के प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्य विधि होगी ।

१ -उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निगम के निर्धारित प्रत्र में आवेदन करेगा ।

२ -आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जावेंगे ।

क -आवंटित भूंमि संबंधी आवटंन आदेश तथा मौके पर कब्जा प्राप्त होने वाबत प्रमाणपत्र ।

ख -आवेदन की तिथि तक निगम का देय सभी राशियां जमा करने संबंधी निगम के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र ।

ग -निर्माण कार्य प्रारम्भ करने बावत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शा एवं अनुमति पत्र की प्रतियां ।

घ -अन्य कागजात जो निगम द्वारा समय-समय पर सूचित किये जावें ।

२ - जलप्रदाय की दरें निम्नानुसार होंगी -

क - औद्योगिक / व्यावसायिक / निर्माण कार्य हेतु ।

१ - अनुपचारित जल -प्रति एक हजार लीटर-

मालनपुर / घिरोंगी	-	१५/-
बानमोर	-	१२/-
प्रतापपुरा	-	०८/-

२ - उपचारित जल -प्रति एक हजार लीटर-

मालनपुर / घिरोंगी	-	१५/-
बानमोर	-	१२/-
प्रतापपुरा	-	८/-

ख – घरेलू उपयोग : – सभी औद्योगिक केन्द्रों के लिये –

१ – बिना मीटर का संयोजन — रूपये ४०/– प्रति माह
– केवल १/४ इंच फेरूल –
२ – मीटर युक्त संयोजन — रूपये ३/– प्रति एक हजार लीटर
३ – उक्त दर के अलावा निम्नानुसार राशियां देय होंगी –सभी औद्योगिक केन्द्रो के लिए–

क – आवेदन प्रपत्र शुल्क — रूपये ५०/– प्रति संयोजन वापसी के योग्य नहीं

१ – ० लीटर से १०,००० लीटर / दिन — रूपये ७५०/– प्रति संयोजन

२ – १०,००१ लीटर से ५०,००० लीटर — रूपये १,२००/– प्रति संयोजन

३ – ५०,००० लीटर से ५,००,००० लीटर — रूपये २,०००/– प्रति संयोजन

४ – ५,००,००१ लीटर से उपर — रूपये ५,०००/– प्रति संयोजन

ग – प्रतिभूति राशि

क्रमांक	मांग प्रतिदिन	प्रतिभूति राशि
१ –	० से ५,०००	३,०००/–
२ –	५,००१ से १०,००० लीटर	६,०००/–
३ –	१०,००१ से २०,००० लीटर	१२,०००/–
४ –	२०,००१ से ५०,००० लीटर	३०,०००/–
५ –	५०,००१ से १,००,००० लीटर	५५,०००/–
६ –	१,००,००१ से २,५०,००० लीटर	१,२०,०००/–
७ –	२,५०,००१ से ५,००,००० लीटर	२,५०,०००/–
८ –	५,००,००१ से अधिक	रूप्ये ४,०००/– प्रति हजार लीटर पर न्यूनतम रूप्ये २,५०,०००/–

घ –सड़क काटने बावत शुल्क — वापसी योग्य नहीं

१ –डब्ल्यू बी एम सड़क — रूपये ५००/–प्रति मीटर मार्ग की चौड़ाई

२ –डामर सड़क — रूपये ८००/–प्रति मीटर मार्ग की चौड़ाई

४ –ये दरें दिनांक ०१–०६–१९९३ से लागू होंगी ।

५ –बिल प्रतिमाह की नियत तारीख तक भुगतान न करने की दशा में बिल के २० प्रतिशत के बराबर अधिभार देय होगा ।

६ –उपभोक्ता द्वारा मांग की गई जल की मात्रा के ५० प्रतिशत के बराबर मात्रा के लिए शुल्क न्यूनतम रूप से वसूल किया जावेगा ।

७ –जलप्रदाय आदि की उक्त दरें समय–समय पर पुनरीक्षित की जा सकेंगी, जिसके लिए कोई अग्रिम सूचना देना आवश्यक नही होगा ।

प्रबन्ध संचालक

म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम 'ग्वालियर' लिमिटेड

नियम

१ –संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१ – ये नियम म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, जलप्रदाय नियम कहलायेंगे

२ – ये नियम म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, के संचालक मण्डल द्वारा पारित करने के दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

२ – परिभाषा

इन नियमों मे जब तक प्रसंग से अन्यथं अपेक्षित न हों –

क – ' जल प्रदाय गृह ' वाटर वर्क्स से तात्पर्य ऐसे यंत्र तथा साज सामान से है जो उन नियमों के अधीन जय प्रदाय के लिए औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, जिसे आगे निगम कहा गया है के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो ।

ख – ' प्राधिकृत पदाधिकारी ' से तात्पर्य प्रबन्ध संचालक, म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम से है और इसमें प्रबन्ध संचालक द्वारा इस संबंध मे प्राधिकृत अन्य कोई भी पदाधिकारी सम्मिलित हैं ।

ग – ' उपभोक्ता ' से तात्पर्य औद्योगिक इकाईयों से है जो इस निगम द्वारा संचालित औद्योगिक विकास केन्द्रों 'इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेण्टरों' में अपना उद्योग स्थापित करना चाहती है या कार्यरत उद्योग अथवा उसके विस्तार के लिए जिन्हें जल प्रदाय किया जाता हो या जो जल प्रदाय किये जाने के लिए आवेदन करें या जो उसका उपयोग करते हों । शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय परिसरों आदि के लिए भी से नियम प्रभावशाली रहेंगें । इन नियमों के अन्तर्गत हाउसिंग बोर्ड, फायर बिग्रेड, पुलिस स्टेशन, शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सा संस्थायें एवं अन्य संस्थायें भी प्रबंध संचालक की अनुमति ली जा सकती है ।

घ – जलप्रदाय गृह की मुख्य नलिका वाटर वर्क्स मेन से तात्पर्य जलप्रदाय गृह से जल ले जाने वाली जल वितरक पाईप लाईन से है ।

च – ‘ योजी नल ’ कम्युनिकेशन पाईप से तात्पर्य पाईप लाईन के उस भाग से है जो मुख्य नलिका और मीटर स्टाप कॉक या वाल्ब के बीच में हो ।

छ – ‘ स्टाप कॉक ’ या ‘ वाल्ब ’ से तात्पर्य ग्लैंड या वाल्ब से है जा मीटर मे से होकर जाने वाले जल के प्रवाह को नियन्त्रित करने के लिए फेरूल या योजी नल पर लगाया गया है ।

ज – ‘ मीटर ’ से तात्पर्य ऐसे साधन से है जो प्रदाय किये जाने वाले जल की मात्रा को नापने के लिए लगाया जाता है ।

झ – ‘ फेरूल ’ से तात्पर्य ऐसे उपकरण से है जो योजी नल को जलप्रदाय गृह की मुख्य नलिका से जोड़ता हो ।

ड़ – ‘ परिसर ’ से तात्पर्य ऐसे भवन जिसमें संलग्न भूमि भी सम्मिलित है या उसके किसी भाग से है जो जिसके लिए जल का प्रदाय किया जाता हो या जल के लिए आवेदन किया गया हो ।

ट – ‘ संग्रहण टंकी ’ से तात्पर्य किसी टंकी से है जो जलप्रदाय गृह द्वारा प्रदाय किए गये जल का संग्रहण करने के लिए हो ।

ठ – ‘ नलकार ’ से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो नल डालने तथा नल का फिटिंग करने के लिए रखा गया है और प्रभारी अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया गया हो ।

ढ – ‘ अनुबन्ध ’ से तात्पर्य ऐसे करारनामें से है जो जलप्रदाय गृह से जल लेने के इच्छुक व्यक्ति या व्यक्तियों या इकाई द्वारा निषपादित किया गया हो ।

त – ‘ औद्योगिक प्रदाय ’ से तात्पर्य औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जलप्रदाय से है जिसमें फेक्ट्री, भवन निर्माण एवं औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत कर्मचारी / मजदूरों द्वारा प्रयुक्त जल सम्मिलित रहेगा ।

थ – ‘ जलकर या सर्व समान दर ’ से तात्पर्य जलप्रदाय की ऐसी दरों से होगा जा औद्योगिक प्रदाय के लिए समय-समय पर निगम द्वारा नियत की जावें, ऐसे जलप्रदाय गृहों / साधनों के लिए जो निगम के स्वामित्व / नियन्त्रण में हैं, दरें निगम द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

३ –वे प्रायोजन जिनके लिए जल का प्रदाय किया जाता है –

इन नियमों के अधीन जल का प्रदाय औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत घरेलू उपयोग, व्यावसायिक उपयोग, निर्माण कार्य तथा वास्तविक औद्योगिक प्रयोजनो के लिए किया जावेगा । घरेलू

कनेक्शन औद्योगिक परिसर मे नहीं दिये जायेंगे, किन्तु औद्योगिक क्षेत्र मे बसी अनुमोदित हाउसिंग कालोनी में दिया जायेगा ।

४ –नवीन जल संयोजन --

किसी भी नवीन नल कनेक्शन के प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्यविधि होगी --

१ –उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निगम के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगा ।

२ –आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे ।

क – आबंटित भूमि संबंधी आदेश तथा मौके पर कब्जा प्राप्त होने बाबत प्रमाण–पत्र ।

ख – आवेदन की तिथि तक निगम का देय सभी राशियां जमा करने संबंधी निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र ।

ग – निर्माण कार्य प्रारम्भ करने बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शा एवं अनुमति प्रमाण–पत्र की प्रतियां ।

घ – अन्य कागजात जा निगम द्वारा समय–समय पर संसूचित किए जावें ।

५ –जलप्रदाय व्यवस्था मे परिवर्तन या परिवर्धन --

१ –औद्योगिक इकाईयां, जो विधमान पाईयों या जलप्रदाय की मात्रा में परिवर्धन या परिवर्तन के इच्छुक हों इस हेतु नवीन संयोजन हेतु निश्चित प्रपत्र पर आवेदन करेंगे । इसके साथ परिसर तथा प्रस्तावित परिवर्तन की स्थिति को दर्शाने वाले रेखांकन के साथ व प्रयोजन जिसके लिए ऐसा परिवर्तन आपेक्षित है तथा वह मात्रा जिसके खर्च किये जाने की सम्भावना है उल्लेखित की जावेगी ।

२ –आवेदन पत्र पर इकाई के स्वामी या उनके विधिपूर्ण अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और उसके साथ आवेदन की तिथि तक निगम को देय सभी राशियां जमा करने संबंधी निगम के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

६ –मुख्य नल से कनेक्शन --

इस हेतु निम्नानुसार शुल्क देय होंगे –

क – आवेदन प्रपत्र शुल्क रूपये ५०/– प्रति संयोजन ।

ख – मीटर टेस्टिंग एवं कनेक्शन फीस --

१ – ० लीटर से १०,००० लीटर / दिन	रूपये ७५०/– प्रति संयोजन
२ – १०,००१ लीटर से ५०,००० लीटर	रूपये १,२००/– प्रति संयोजन

३ – ५०,००० लीटर से ५,००,००० लीटर	रूपये २,०००/– प्रति संयोजन
४ – ५,००,००१ लीटर से उपर	रूपये ५,०००/– प्रति संयोजन

ग – प्रतिभूति राशि

क्रमांक	मांग प्रतिदिन	प्रतिभूति राशि
१ –	० से ५,०००	३,०००/–
२ –	५,००१ से १०,००० लीटर	६,०००/–
३ –	१०,००१ से २०,००० लीटर	१२,०००/–
४ –	२०,००१ से ५०,००० लीटर	३०,०००/–
५ –	५०,००१ से १,००,००० लीटर	५५,०००/–
६ –	१,००,००१ से २,५०,००० लीटर	१,२०,०००/–
७ –	२,५०,००१ से ५,००,००० लीटर	२,५०,०००/–
८ –	५,००,००१ से अधिक	रूपये ४,०००/– प्रति हजार लीटर पर न्यूनतम रूपये २,५०,०००/–

घ –सड़क काटने बावत शुल्क वापसी योग्य नहीं

१ –डब्ल्यू बी एम सड़क रूपये ५००/– प्रति मीटर मार्ग की चौड़ाई

२ –डामर सड़क रूपये ८००/– प्रति मीटर मार्ग की चौड़ाई

७ –प्रत्येक परिसर के लिए प्रथक नल संयोजन होगा ––

ऐसे प्रत्येक परिसर मे जलप्रदाय गृह से जल का प्रदाय किया जाता है उसका स्वतः का प्रथक संयोजन होगा और किसी भी योजी–नल का किसी अन्य परिसर को जल प्रदाय करने के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा ।

८ –जलप्रभार ––

प्रदाय किया गया जल ऐसी दर से जो जलप्रदाय गृह के लिए समय–समय पर निगम द्वारा नियत की गई हो ता प्रभारित किया जायेगा ।

९ –जलप्रभार का भुगतान ––

१ – इन नियमों के अन्तर्गत दिनांक ०१.०६.१९९३ से जल की दर निम्नानुसार वसूल की जावेगी । इसे भविष्य मे आवश्यकतानुसार म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है ।

अ – औद्योगिक / व्यावसायिक / निर्माण कार्य हेतु ।

१ – अनुपचारित जल –प्रति एक हजार लीटर–

मालनपुर / घिरोंगी	–	१५/–
बानमोर	–	१२/–
प्रतापपुरा	–	८/–

२ - उपचारित जल -प्रति एक हजार लीटर-

मालनपुर / घिरोंगी	-	१५/-
बानमोर	-	१२/-
प्रतापपुरा	-	८/-

आ - घरेलू उपयोग : - सभी औद्योगिक केन्द्रों के लिये -

१ - बिना मीटर का संयोजन रूपये ४०/- प्रति माह
- केवल १/४ इंच फेरूल -

२ - मीटर युक्त संयोजन रूपये ३/- प्रति एक हजार लीटर

२ - खर्च किये गये जल के लिए मासिक बिल भुगतान की अन्तिम तिथि दर्शाते हुए तैयार किए जावेंगे और भुगतान के लिए उपभोक्ता को भेजे जावेंगे, यदि उपभोक्ता नियत दिनांक के अन्दर बिल का भुगतान न करें ता उसे जलप्रभार के अतिरिक्त २० प्रतिशत अधिभार भी चुकाना होगा 1 दो माह तक बकाया के अदत्त रहने की दशा में जलप्रदाय बिना सूचना के ही काट दिया जावेगा 1 जलप्रदाय का बिल ही सूचना माना जावेगा तथा दस हेतु अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी 1 जलप्रदाय के काट दिए जाने पर भर भी उपभोक्ता अदत्त बिलों का भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा 1

१० -बिल डाक से या सन्देशवाहक द्वारा भेजे जावेंगे तथापि बिल का प्राप्त होना उपभोक्ता का बिल या अधिभार या अधिभार सहित बिल का भुगतान करने से भारमुक्त नहीं करेगा 1 प्रत्येक माह की २० तारीख तक बिल प्राप्त नही होने पर बिल प्राप्त करने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी 1

११ -उपभोक्ता अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा बिल का स्वीकार न करना उपभोक्ता को नियत दिनांक के भीतर भुगतान करने से भारमुक्त नहीं करता 1 यदि उपभोक्ता को बिल के बावत कोई आपत्ति हो ता उस संबंध में उपभोक्ता निगम को सूचित करेगा जिस पर यथाशीध्र निर्णय लिया जावेगा, किन्तु यदि निर्णय नियत दिनांक के पूर्व न हो सके तब भी उपभोक्ता का नियत दिनांक के पूर्व बिल के अनुसार भुगतान करना ही होगा अन्यथा पूर्वोक्तानुसार अधिभार देय होगा 1

१२ -बिल के बारे में कोई भी शिकायत बिल की प्राप्ति से १५ दिन के भीतर प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित रूप में की जानी चाहिए 1 भले ही बिल में कोई असंगति हो या स्पषटीकरण मांगा गया हो तो भी उपभोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पश्चातवर्ती समायोजन के अधीन अस्थायी रूप से या आपत्ति के साथ बिल की पूरी रकम का भुगतान कर दें 1

१३ -जल खपत का न्यूनतम चार्ज --

किसी मास में उपभोक्ता द्वारा जल का उपयोग नहीं किये जाने पर या कम जल का उपयोग किये जाने की दशा में उपभोक्ता द्वारा नल संयोजन लेने के समय चाही गयी अधिकतम मांग के ५० प्रतिशत के बराबर मात्रा हेतु आवश्यक राशि न्यूनतम देय होगी 1

१४ -यदि उत्तराधिकर अथवा सम्पति के अन्तरण द्वारा उपभोक्ता का नाम बदल जाये तो यथा स्थिति उत्तराधिकारी या हस्तांतरणकर्ता ऐसे परिर्वतनों से एक मास की कालवधि के भीतर

नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करेगा तथापि नाम परिवर्तन निगम को उस अहाते 'प्रीमीसस' से देय सारे बकाया चुकाने के बाद ही किया जा सकेगा ।

१५ -जल के दुरूपयोग के संबंधी उपबन्ध --

कोई भी उपभोक्ता उस प्रयोजन को छोड़कर जिसके लिए कनेक्शन दिया गया है, अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग नहीं करेगा या अन्य परिसरों के अधिवासियों को जल नहीं देगा । उल्लघंन किये जाने पर प्राधिकृत पदाधिकरी इस प्रयोजन के लिए जल प्रभार वसूल करेगा तथा जल कनेक्शन काटा जा सकता है ।

१६ -प्रवेश करने और अन्य व्यक्तियों का निरीक्षण करने का अधिकार --

१ -प्राधिकृत पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी एंव कर्मचारी को परिसर में प्रवेश करने का और सभी या किन्हीं जलप्रदाय संबंधीउपकरणों तथा पाईपों का निरीक्षण करने का और इस बात की जांच करने का अधिकार होगा कि जल का कोई दुरूपयोग तो नहीं किया जा रहा है ।

२ -यदि उपभोक्ता या उसके प्रतिनिध प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के कर्तव्य पालन मे बाधा उपस्थित करें तो उसे कारण बताने की सूचना देने के पश्चात जल प्रदाय संयोजन काटे जाने का अधिकार निगम को होगा ।

१७ -पाईप व पाईप फिटिंग --

अ -समस्त पाईप विशेष प्रकार के यन्त्र -स्पेशल्स- या फिटिंग चाहे वे किसी प्रकार की हो विहित विशिषटयों और इण्डियन स्टेण्डर्ड स्पेशिफिकेशन या ब्रिटिश स्टेण्डर्ड स्पेशिफिकेशन के अनुसार विशिषट विवरण के अनुरूप होगी । सामान्यतः समस्त फिटिंग ऐसी होगी की वे ७.०० कि.ग्रा. प्रति वर्ग सेण्टीमीटर '१०० पौंड प्रति वर्ग इंच' दबाव सहन कर सके अनावश्यक रीसन तथा जल के अपव्यय से बचने के लिए फिटिंग मे पीतल के स्क्रू-बिबटेप्स और स्आप कॉक का विशेषतः उपयोग किया जावेगा ।

ब -समस्त उपभोक्ताओं के पाईप तब तक कि किसी भवन के अन्दर न डाले गये हो सतह से कम से कम ५,००० सेण्टीमीटर '१.६ फुट' नीचे जमीन मे डाला जाएगा और इस तरह डाले या लगाये जावेंगे, जिससे उन पर सूर्य की गर्मी का प्रभाव न पड़े और न ही किसी उपभोक्ता का कोई पाईप और फिटिग्स किसी ऐसी स्थिति या रीति में डाली जावेगी जिसमें पाईप या फिटिंग को जोखिम या क्षति या जल का उपव्यय या प्रदूशण ग्रस्त न हो ।

स -किसी उपभोक्ता की टोंटी किसी खुले प्रांगण, आने-जाने के मार्ग या किसी परिसर के बाहर इस प्रकार नही लगाई जावेगी जिससे जलप्रदाय गृह के प्रभारी अधिकारी की लिखित विशेष अनुज्ञा के बिना वह सर्व साधारण के उपयोग के लिए प्राप्त हो सके ।

द -निरन्तर जल को बाहर ले जाने के लिए उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक प्रबन्ध किया जावेगा और नल के तल पर लगाया जावेगा जिससे जल सरलता से बह जाये ।

१८ –नलाकार अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा --

अ –कोई भी व्यक्ति पानी के पाईपों या इकाई के कनेक्शनों में कोई परिवर्तन या मरम्मत या फिटिंग को तब तक निषपादित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उसने जलप्रदाय गृह के प्रभारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर ली हो ।

ब –नलाकार को उनके कार्य अनुभव एंव योग्यता संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जैसे लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग, नगर निगम, अन्य सक्षम सस्था के द्वारा पंजीयन आदि ।

स –अनुज्ञप्ति के लिए फीस या प्रतिभूति निक्षेप --

नलाकार को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने को आवेदन पत्र के साथ रू० १५/- फीस 'जो कि वापस नहीं होगी' एंव रू० २५०/- निक्षेप के रूप में निगम कार्यालय में जमा कराना होगा जिसे अनुज्ञप्ति समाप्ति पर वापस किया जावेगा ।

द –वह कालावधि जिसमें अनुज्ञप्ति होगी --

ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति स्वीकृत किए जाने के दिनांक से आने वाल ३१ मार्च तक प्रभावशील रहेंगी और अगले वर्ष रू० १०/- जमा करने पर नवीनीकरण करने पर विचार किया जावेगा । 'यह राशि वापस नहीं होगी'

१६ –अनुज्ञप्तिधारी नियमों का पालन करेगा --

अ –प्रत्येक नलाकार इस नियमों के उपबन्धों के अध्यधीत होगा और उनका पालन करेगा ।

ब –किसी नलाकार की अनुज्ञप्ति निम्नलिखित आधार पर प्रतितहरित या रदद की जा सकती है --

१. यह कि अनुज्ञप्ति छलकपट से प्राप्त की गयी हो ।

२. यह कि उसने इन नियमों का पालन नहीं किया है या अनुज्ञप्ति की कीन्हीं भी शर्तों का उल्लघंन किया हो या ।

३. यह कि उपभोक्ता की शिकायत पर नलाकार के रूप में कार्य करने के अनुरूप अनुपयुक्त पाया गया हो और जलप्रदाय गृह के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा इसकी पुषिट की जा सकी हो

स –अनुज्ञप्ति द्वारा इन नियमों में से किस का भी भंग अनुज्ञप्ति के रदद करने के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो रू० १००/- तक हो सकता है ।

२० –मीटर और मीटर वाचन --

अ –जलप्रदाय को नापने के लिए अपेक्षित मीटर उपभोक्ता द्वारा जलप्रदाय गृह के प्रभारी पदाधिकारी के निर्देशन में लगाये जावेंगे । मीटर की व्यवस्था उपभोक्ता को करनी होगी, मीटर ऐसी जगह लगाना होगा जिससे मीटर वाचन माह में किसी भी समय किसी भी दिन बिना किसी असुविधा के या समय व्यय के बिना किया जा सके । इसकी जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी तथा मीटर आसानी से पहुंच योग्य न होने के कारण मीटर वाचन न होने से होने वाली सारी कठिनाईयों का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा ।

ब –प्राधिकृत पदाधिकारी अपने विवेकानुसार उपभोक्ताओं के मीटर उनके उपयोग मे होने के दौरान कभी भी जांच कर सकेगा । यदि मीटर बिगड़ जावे या अशुद्व वाचन देता पाया जावे तो उपभोक्ता को अपने खर्च से ऐसी कालावधि जो कि अधिकतम १५ दिन की होगी, के भीतर जो संबंध में उल्लेखित की जाये, मीटर को बदलना पड़ेगा या मरम्मत करानी होगी ओर इस कालावधि के दौरान प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे सीान पर दूसरा मीटर लगा सकेगा । दूसरे मीटर के अधिषठान का खर्च तथा उसका भाड़ा उपभोक्ता से वसूल योग्य होगा ।

स –किसी भी दशा में जलप्रदाय गृह के पदाधिकारी की अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी मीटर जल व्यवस्था मे लगाया या संयोजित नहीं किया जावेगा और ऐसे मीटर प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा मुद्रांकित किए जायेंगे । मीटर एंव मापक साज–सामान को अच्छी हालत मे बनाये रखने के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी होगा ।

द –जलप्रदाय गृह जहां तक सम्भव हो वर्ष में एक बार उपभोक्ता के मीटर की जांच और व्यास की माप करेगा ।

इ –मीटर के वाचन प्रत्येक माह में एक बार में या ऐसी अन्तरों या समय पर किये जायेंगे जैसे कि प्रभारी पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी निर्दिषट करें । हर मीटर का इस प्रकार लिया गया प्रत्येक वाचन लिए जाने के ठीक पश्चात ऐसे मीटर पर या उसके निकट, संलग्न किये जाने वाले चार्ट पर प्रविषिट किया जायेगा ताकि उपभोक्ता के निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध रहे ।

ई –यदि जलप्रदाय गृह के प्रभारी पदाधिकारी या उसके प्रतिनिधि को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी उपभोक्ता के परिसर का मीटर अशुद्व है जिसमें मीटर का रूकना, धीमे या तेज चलना सम्मिलित है तो मीटर परिक्षण न होने की दशा में पिछले १२ माह मे दिये गये अधिकतम बिल के मान से मासिक बिल दिया जावेगा ।

क –मीटर शुद्व होने के पश्चात उपभोक्ता जलप्रदाय गृह के प्राधिकृत पदाधिकारी को सूचित करेगा ऐसी सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकृत पदादिधकारी द्वारा मीटर के निरीक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा तदपश्चात नियमित मीटर वाचन के अनुसार जल कर लिया जावेगा ।

२१ –जलप्रदाय अवरोध तथा उस पर नियन्त्रण ––

१ –जल प्रदाय गृह जल प्रदाय की गारण्टी नहीं देगा और जल के मुख्य नलिका या यन्त्र आदि के दुर्घटनाग्रस्त होने से जल प्रदाय बन्द हो जाने के कारण या ऐसी किसी अज्ञात

स्थिति जिसके कारण जल प्रदाय रोक देना पड़े, उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नही होगा । जल प्रदाय गृह का प्रभारी पदाधिकारी उपर्युक्त जल प्रदाय के बन्द हो जाने के कारणों की पर्याप्तता का एक मात्र निर्णायक होगा ।

२ -उन विशेष मामलों मे जिनकी किसी टूट-फूट की मरम्मत करने के लिए या अन्य कारणों से जल प्रदाय १२ घण्टे से अधिक समय के लिए बन्द किया जाना हो उपभोक्ता को सार्वजनिक घोषणा द्वारा २ घण्टे पूर्व ही सूचित कर दिया जावेगा ।

३ -जल प्रदाय गृह का प्रभारी पदाधिकारी जल प्रदाय या जलप्रदाय के घण्टों को जैसी स्थिति में हो नियन्त्रित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है ।

४ -जल प्रदाय गृह प्रभारी पदाधिकारी जल प्रदाय के प्रकार उसकी मात्रा के दबाव के संबंध मे स्वयं का आवद्ध नहीं करेगा ।

२२ -अनुबन्ध --

जैसे ही जल प्रदाय गृह के प्रभारी पदाधिकारियों या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उपभोक्ता को मीटर कनेक्शन दिया जाना अनुमोदित कर दिया जाए उपभोक्ता जलप्रदाय तथा उसके जल कर या जल प्रभारों के भुगतान के लिए इन नियमों से संबंधित फार्म में करार करेगा ।

२२ -विवाद एवं अपील --

ऐसे समस्त मामलों में उपर्युक्त नियमों के प्रयुक्ति के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो मामला प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश कें दिनांक से ३० दिन की कालावधि के भीतर जल प्रदाय गृह के प्रभारी पदाधिकारी को अपील की जा सकेगी और अपील पर प्रभारी पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

२३ -वसूली का ढंग --

इन नियमों के अधीन उपभोक्ता से जलप्रदाय के कारण या अन्यथा शेष कोई रकम न चुकाई जाये तो जलप्रदाय गृह के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर कलेक्टर द्वारा ऐसे उपभोक्ता से इस प्रकार वसूली की जा सकेगी माने की वे भू-राजस्व की बकाया हो ।

प्रबन्ध संचालक
म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम 'ग्वा' मर्या.,
ग्वालियर

अनुबन्ध का प्रारूप

' नियम ७ देखें '

म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम 'ग्वा.' मर्या. ग्वालियर

घरेलू / औद्योगिक जल संयोजन के लिए अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक ....माह...........वर्ष............. को प्रथम पक्ष प्रबन्ध संचालक जो .... के जरिये कार्य कर रहे हैं ' जिन्हें इसमें इनके पश्चात पूर्तिकर्ता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जहां अपेक्षित हो, उनके पदानुवर्ती शामिल होगें ' और द्वितीय पक्ष फर्म / श्री .... पिता का नाम ....औद्योगिक क्षेत्र / निवास स्थान/ प्लाट नम्बर ....' जिन्हें इसके पश्चात उपभोक्ता कहा गया है जिस अभिव्यक्ति ने जहां सन्दर्भ में आपेक्षित हो उनके वैध वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, निषपादक तथा प्रशासक शामिल होंग` ' के बीच किया जाता है ।

चूंकि इकाई / उपभोक्ता ने ....में स्थित अपनी इकाई / निजी मकान जा कि उसके अधीन होकर औ.के.वि.नि. भू-खण्ड क्रमांक .... पर स्थित है, में जल कनेक्शन के लिए निहित फार्म में आवेदन किया गया है ।

और चूंकि .... स्थित जलप्रदाय विभाग ने इसके पश्चात दिये गये निबन्धनों तथा शर्तों के अध्ययीन उक्त परिसर में .... लिटर प्रतिदिन जलप्रदाय के लिए घरेलू / औद्योगिक / मीटरयुक्त / बिना मीटर के जल कनेक्शन की नियमानुसार मंजूरी दी है ।

अतएव अब यह अनुबन्ध इस बात का साक्ष्य है कि और इसके द्वारा निम्नानुसार किया जाता है --

१- इस अनुबंध की सभी दृषिटयों से तत्समय प्रवृत जलप्रदाय नियम वर्ष १९९१ 'जो अगस्त १९९१ से लागू किये गये हैं ' के अध्ययीन पढ़ा जावेगा और तदनुसार उसका अर्थ लगाया जावेगा ।

२- उपभोक्ता जिस प्रयोजन के लिए संयोजन मंजूर किया गया है उससे भिन्न किसी प्रयोजन के लिए जल का उपयोग नहीं करेगा और न ही जल का दुरूपयोग करेगा और न ही अन्य मकानों या भूमियों या इकाईयों के आदिवासियों को नल का जल लेने देगा । इस खण्ड के उल्लघंन के मामले में उपभोक्ता ऐसी रकम का भुगतान करने का दायी होगा जो म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा जलप्रदाय नियम के अधीन देय जल कर का दुगुना या उससे अधिक प्रभारित की जा सकेगी तथा नल संयोजन विच्छेद भी किया जा सकता है ।

३- खपत हुए जल के मासिक बिल तैयार किए जावेंगे और उपभोक्ताओं का उनमें नियत देयक तारीख के भीतर बिल की रकम का भुगतान के लिए भेज दिये जावेंगे यदि उपभोक्ता भुगतान देय होने की तारीख के भीतर बिल की रकम का भुगतान नहीं करता है तो उसे उस पर २० प्रतिशत अधिभार देना होगा जो कि अगले माह के बिल में जोड़ दिया जावेगा, यदि उपभोक्ता बिलों का दो माह तक नियत तिथि पर भुगतान

नहीं करता है तो जलपूर्ति बन्द कर दी जावेगी एंव नल संयोजन विच्छेद कर दिया जावेगा । इसके लिए अलग से कोई नोटिस देय नहीं होगा । यदि उपभोक्ता का मीटर एक माह से अधिक समय तक खराब रहता है या उपभोक्ता मीटर ठीक नहीं करवाता है उस स्थिति में उस माह से पूर्व के १२ माह में अधिकतम राशि के समकक्ष राशि वसूल की जावेगी ।

४- क- विभाग के प्राधिकृत कर्मचारियों को यह अधिकार होगा कि वे अकस्मात अल्पकालीन सूचना देकर परिसर में प्रवेश करें तथा यह जांच करने के लिए जल का दुरूपयोग तो नहीं किया जा रहा है । सभी या किसी भी फिटिंग या नलों का निरीक्षण करें ।

ख- यदि उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा जलप्रदाय के विभाग के कर्मचारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने में कोई बाधा उपस्थित की जाती है तो उपभोक्ता को कारण बताओ नोटिस देने के बाद कनेक्शन काट दिया जावेगा

५- मीटर तथा मीटर वाचन --

क- जलपूर्ति नापने के लिए अपेक्षित सभी मीटर, इन्डीकेटर तथा विशेष उपकरण उपभोक्ता द्वारा स्वयं परिसर में सीापित किए जावेंगे ।

ख- किसी भी स्थिति में जल प्रदाय विभाग, म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्राधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई मीटर नहीं लगाया जावेगा और ऐसा मीटर म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम या उसके प्रतिनिधि द्वारा सील बन्द किया जावेगा एवं उपभोक्ता अपने मीटर तथा मापक उपकरण को नियम के अनुसार अच्छे हालत में रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

ग- मीटरों का वाचन प्रत्येक माह में एक बार ऐसी अन्तर्वधियों या समयों पर किया जावेगा जो म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि उपयुक्त समझें ।

घ- यदि म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को यह विश्वास करने के कारण हो कि उपभोक्ता के परिसर मे लगा या लगे मीटर ठीक नहीं है 'जिसमें रूके हुए या मन्द / तेज मीटर शामिल हैं ' तो मीटर की जांच होने तक सही मात्रा पिछले १२ महीनों के अधिकतम वाचन के समकक्ष निश्चित की जावेगी

च- यदि कोई मीटर खराब हो जाए या उसकी मरम्मत हो रही हो ' यह अवधि अधिकतम एक माह की होगी ' तो कार्यालय के जल कर निम्नानुसार संगणित किया जायेगा --

१. यदि जांच करने से यह पाया गया कि मीटर ५ प्रतिशत से अधिक मंद नहीं है तो दर्ज वास्तविक खपत के हिसाब से ।

२. यदि मीटर ५ प्रतिशत से अधिक मंद पाया गया तो गत १२ माह में अधिकतम वाचन के समकक्ष जल कर वसूल किया जावेगा ।

छ- उपभोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह जल मीटर को सभी प्रकार की हानियों से सुरक्षित रखे और यदि वह टूट-फूट जाए तो उसके टूटने या खराब होने की सूचना तुरन्त निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में दी जाए एवं उसकी मरम्मत उपभोक्ता के खर्च पर उपभोक्ता द्वारा अधिकतम एक माह के समय मे करवाई जावेगी ।

ज- कोई भी उपभोक्ता मीटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही निगम की अनुमति के बिना हटायेगा या उसका सीान परिवर्तन करवायेगा । यदि वह इसमें चूक करेगा तो वह शास्ति का भागी होग जो अधिकतम रू. १,०००/- तक हो सकती है ।

६- क- निगम जलपूर्ति की गारण्टी नहीं देता है और न किसी ऐसी हानि के लिए उत्तरदायी होगा जो वाटरमेन्स या मशीनरी आदि संबंधी किसी अप्रत्याशित घटना या किसी आपत्तिक स्थिति के कारण जलपूर्ति न होने से हुई हो और जिससे जलपूर्ति बन्द हो गई जो निगम पूर्ववत जल पूर्ति के बन्द होने के कारण कि पर्याप्तता का एकमात्र निर्णायक होगा ।

ख- निगम यथास्थिति जलपूर्ति या जलपूर्ति के घण्टे नियन्त्रित करने का पूर्ण अधिकार है ।

ग- पूर्तिकर्ता जलपूर्ति की किस मात्रा तथा दबाव के संबंध मे आबद्व नहीं है ।

घ- उपभोक्ता जलपूर्ति बन्द हो जाने या प्रतिबन्धित की स्थिति में पूर्तिकर्ता में किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा ।

७- यदि इस अनुबन्ध से संबंध पक्षकारों के बीच इस अनुबन्ध या इसमें दिये गये उपबन्धों या उससे उत्पन्न किसी वाद के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे प्रबंन्ध संचालक औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को निर्दिषट किया जायेगा और उस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा निर्णायक और दोनो पक्षों पर बन्धनकारी होगा ।

८- म.प्र. जलप्रदाय नियम १९९१ इस अनुबन्ध के भाग होंगे ।

९- इस अनुबन्ध के अधीन उपभोक्ता से अप्राप्त कोई भी राशि उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

१०- समय-समय पर निगम द्वारा पुनरीक्षित की गयी नई दरें लागू की जायेंगी जिसके लिए उपभोक्ता देने के लिए बाध्य होगा । इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस अनुबन्ध पर प्रत्येक के सामने उल्लेखित तारीख और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

....

साक्षी

उपभोक्ता :

१. .... नाम :

२. .... पद नाम

३. .... सीील :

४. ....

....

पूर्तिकर्ता

म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रबन्ध संचालक की ओर से

दिनांक ....